नौवहन समवाय

2201. **श्री क० मि० मधुकर:** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत में नौवहन समवायों में सरकारी तथा गैर-सरकारी पूंजी कितने कितने प्रतिशत लगी हुई है,

(ख) क्या यह सच है कि भारत में नौवहन कारोबार अब भी विदेशी समवायों तथा भारतीय गैर-सरकारी समवायों द्वारा किया जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो क्या नौवहन कारोबार को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) भारत में समस्त शिपिंग कंपनियों के बारे में पूछी गई सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। सूचना सकलित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में भारतीय तट के किनारे सूखे माल का ले जाया जाना केवल भारतीय शिपिंग कंपनियों के लिये सुरक्षित है। तट के किनारे ले जाये जाने वाले तेल के बारे में भारतीय तेल वाहियों के अलावा भाटक पर कुछ विदेशी तेलवाही भी नियुक्त किये जाते हैं।

विदेश पार व्यापार के संबंध में, विदेशी कम्पनियों और भारतीय गैर-सरकारी कम्पनियों के अलावा सरकारी क्षेत्र की भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं।

(ग) जी नहीं।

Delhi requirements of Rice and Wheat

2202. Shri Nanja Gowder: Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the total requirements of rice and wheat for Delhi per week; and

(b) the savings made by restricting the hotels to serve rice and wheat almost during three days in a week?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Including the non-rationed areas, Delhi requires in a week about 700 tonnes of rice and 6,975 tonnes of wheat

(b) The catering establishments in Delhi are required to observe two riceless days and one cereal-less evening in a week. The rice quota of these establishments could, on this account, be cut by about 106 tonnes per month. No cut has been imposed in their quota of wheat/atta

दहेज निवारण विधि

2203. **श्री रामसेवक यादव:**
श्री जार्ज फरनेन्डीज:
श्री मोलहू प्रसाद:
श्री महाराज सिंह भारती:
श्री रबी राय:
श्री ब लमीकी चोधरी:

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दहेज निवारण विधि के अन्तर्गत देश भर में न्यायालयों में कितने मुकदमों की सुनवाई हुई

(ख) कितने मुकदमों में दण्ड दिया गया, और

(ग) कितने मुकदमों का फैसला अभी नहीं हुआ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बा० रा० भगत): (क) से (ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का प्रशासन राज्य